

पत्रांक 487/2016

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गिरिडीह

दिनांक 21.11.2016

सेवा में,

प्रधानाचार्य  
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगण्डा, गिरिडीह।

प्रसंग: आपका पत्रांक SSVm/87/2016-17 दिनांक 15.11.2016

विषय: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगण्डा, गिरिडीह अग्नि सुरक्षात्मक उपायों के जाँच के संबंध में।

महाशय,

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगण्डा के अग्नि सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा की गई। जाँच के क्रम में सभी व्यवस्थाएँ संतोषजनक एवं क्रियाशील पाये गये। अतः यदि इनका अनुमति का नवीकरण एक वर्ष के लिए किया जाता है तो निम्न शर्तों के अधीन इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है:-

1. सभी उपकरण अपने निर्धारित स्थान पर तथा अच्छी तरह संधारित रखे जायेंगे।
2. किसी भी निकास द्वार को किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा।
3. सभी उपकरणों की जाँच एवं निरीक्षण अपने सुरक्षाकर्मी अवधिकार कराते रहेंगे।
4. किसी आकस्मिकता के लिए एसेम्बली प्लेस को हर समय खाली रखा जायेगा।
5. वर्ष में कम से कम दो बार Excavation Drill कराया जायेगा, जिसमें कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशामन सेवा को भी साथ में रखा जायेगा।
6. Paste किए गये Exit Signs is Emergency Service के टेलीफोन नम्बरों को भी संधारित रखा जायेगा।
7. किसी भी प्रकार का अनियमितता पाए जाने पर बीच में ही अनुमति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

यह प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है।

विश्वासभाजन,

21/11/16  
अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी  
गिरिडीह